उत्तर प्रदेश शासन,
आबकारी अनुभाग-2
संख्या-47/2621 ई-2/तेरह-2014-233/2000
लखनऊ::दिनांक 30 दिसम्बर,2014

<u>कार्यालय-आदेश</u>

आबकारी विभाग में सुरक्षा होलोग्राम की आपूर्ति के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश मिश्र, 5एच/7 कूपर रोड, सिविल लाईन्स, इलाहाबाद के शिकायती पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं एवं मामले की एतद्द्वारा जांच संस्थित करते हुये श्री संजय मिश्रा, मा0 न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को जांच अधिकारी नामित किया जाता है।

जांच अधिकारी से यथाशीघ्र जांच सम्पन्न कर जांच आख्या उपलब्ध कराने का अनुरोध है ।

किशन सिंह अटोरिया
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-47/2621(1)ई-2/तेरह-2014, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) श्री संजय मिश्रा, मा0 न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त), मा0 उच्च न्यायालय, 27, पार्क रोड, इलाहाबाद को श्री सत्य प्रकाश मिश्रा के उक्त संदर्भित शिकायती पत्र की छाया प्रति सहित।
(2) निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी।
(4) आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस अनुरोध सहित कि जांच कार्य शीघ्र सम्पन्न कराने हेतु जांच अधिकारी को आवश्यक अभिलेख एवं वांछित सहयोग जांच अधिकारी की अपेक्षानुसार यथासमय उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
(5) वैभागिक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
(मोहम्मद जुनीद)
संयुक्त सचिव।

संलग्नक-यथोक्त

http://abanadesh.up.nic.in/govt/ra